बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

पटना, दिनांक– 11.01.25

सं0सं0–17/विविध–01–207/2024 34(17) बिहार सयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना द्वारा अनुशसित निम्नाकित चिकित्सको को सीनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली–2008 एव (सशोधन) नियमावली, 2013 मे निहित प्रावधानो के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालो मे सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है:–

[ANATOMY-DEGREE]

S.NO.	REG NO.	NAME	CAT	SELECTION CAT	DOB	SEX	BHS	POSTING PLACE
1	9240000188	KRISHNA KUMAR PASWAN	SC	UR	05-08-1979	M	BHS	JLNMCH, Bhagalpur
2	9240000237	SIKHA SINHA	UR	UR	30-12-1981	F	BHS	GMC Bettiah
3	9240000087	RAJKISHOR PRASAD	EB	UR	04-06-1981	M	BHS	JNKTMCH Madhepura
4	9240000046	PREM LATA	SC	UR	15-01-1979	F	BHS	SKMCH, Muzaffarpur
5	9240000093	RAJESH KUMAR	EB	UR	05-01-1982	M	BHS	PMCH Patna
6	9240000078	AMRESH KUMAR	EB	UR	03-12-1983	M	BHS	ANMMCH, Gaya
7	9240000014	MRINALINI SINHA	UR	UR	01-01-1984	F	N	PMCH Patna
8	9240000030	NIDHI CHOUDHARY	BC	UR	09-12-1984	F	N	BMIMS Pawapuri, Nalanda
9	9240000119	PALLAVI PRIYAVADINI	EB	UR	05-05-1985	F	BHS	DMCH, Darbhanga
10	9240000034	RASHMI KUMARI	UR	UR	04-10-1993	F	N	DMCH, Darbhanga
11	9240000073	DEV ASHISH YARY	BC	UR	15-01-1990	M	N	ANMMCH, Gaya
12	9240000143	MD ANAMUL HAQUE	UR	UR	03-03-1990	M	N	BMIMS Pawapuri, Nalanda
13	9240000164	SATYAPAL YADAV	BC	UR	10-02-1984	M	BHS	GMC Bettiah
14	9240000228	SUDHA KUMARI	BC	UR	31-12-1987	F	BHS	GMC Purnea
15	9240000001	JUHI SINHA	BC	UR	06-07-1991	F	BHS	DMCH, Darbhanga
16	9240000040	NEHA NUPUR	UR	UR	14-10-1984	F	N	NMCH Patna
17	9240000166	RUPESH KUMAR SRIWASTAWA	UR	UR	16-12-1986	M	BHS	NMCH Patna
18	9240000060	PRERNA DAS	UR	UR	08-01-1992	F	N	NMCH Patna
19	9240000265	SHAILENDRA KUMAR SRIVASTAVA	EW	UR	04-01-1991	M	N	SKMCH, Muzaffarpur
20	9240000167	AKHALAQ AHMED	UR	UR	07-10-1992	M	N	JLNMCH, Bhagalpur
21	9240000302	SANTANU PARASAR	UR	UR	13-12-1994	M	N	JLNMCH, Bhagalpur
22	9240000589	DEEPAK KUMAR	BC	UR	03-11-1995	M	N	JNKTMCH Madhepura
23	9240000621	NAMRATA SINGH	UR	UR	23-07-1997	F	N	ANMMCH, Gaya

11/01/2025

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।
3. EWS कोटि में अभ्यर्थियों का चयन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 के नियम–11 के अन्तर्गत किया गया है।
4. सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए की जा रही है। अतएव इनका पदस्थापन चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालो मे सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों के अधीन माना जायेगा।
5. बिहार स्वास्थ्य सेवा सवर्ग के चिकित्सको को जो वेतन एव भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एव अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदो पर पदस्थापन अवधि मे देय होगा तथा वेतन से की जा रही कटौतियॉ नियमानुसार की जायेगी।
6. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सको को छोडकर अन्य सभी बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान, वेतन लेवल–9 एवं अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा एव कटौतियॉ स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–22(1) दिनांक–11.01 2024 में दिये गये दिशा–निर्देशो के तहत की जायेगी।
7. टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पदधारक जो बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक है, वे विरमित होने के उपरात स्वास्थ्य विभाग में योगदान समर्पित करेंगे। बाह्य चिकित्सक टेन्योर अवधि समाप्ति के पश्चात् उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नही कर सकेगे।
8. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेट को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नवपदस्थापित स्थान पर **अधिकतम 15 दिनों के अन्दर** अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेगे। योगदान के समय वाछित प्रमाण–पत्र यथा मूल शपथ–पत्र/विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र/विरमन पत्र आदि अपने संबधित चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को समर्पित करेंगे। प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा उनकी शैक्षणिक अर्हता सहित अन्य प्रमाण पत्रों की जॉच करने के उपरान्त योगदान स्वीकार करेगें।
9. किसी विभाग में सीनियर रेजिडेंट के स्वीकृत पद के विरूद्ध अतिरेक पदस्थापन होने की स्थिति मे उक्त सस्थान के अन्य विभाग मे सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रिक्त पद के विरूद्ध वेतन भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
10. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट यदि योगदान के उपरांत किसी कारणवश टेन्योर अवधि पूर्ण होने के पूर्व पद–त्याग करना चाहते हो तो 03 माह पूर्व प्राचार्य/अधीक्षक के माध्यम से अपना आवेदन विभाग में समर्पित कर अनुमति प्राप्त करना होगा।
11. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर यदि **लगातार 15 दिनों से अधिक** दिनो तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते है, तो उनका टेन्योर समाप्त समझा जायेगा।
12. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :–17/विविध–01–207/2024 -24(17) पटना/दिनांक– 11.01.25

प्रतिलिपि :– महालेखाकर (ले0 एव ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषाग) विभाग, बिहार, पटना/ संबधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/01/2025

प्रतिलिपि:– सभी सिविल सर्जन, बिहार/राज्य के सबधित चिकित्सा सस्थानो के अधीक्षक/उपाधीक्षक/निदेशक को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 02, 03, 07, 08, 09 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबधित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर को सूचनार्थ एव अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24(17)
11.01.25

Renu Kumari
11/01/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी।